राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण,
चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष
कम्पनी आवेदन सीए (सीएए) 28/सीएचडी/एचआरवाई/2023
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 के तहत)
कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में
तथा
टालेस प्राइवेट लिमिटेड एवं टाटा एसआईए एयरलाइन्स लिमिटेड
तथा एयर इंडिया लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों
के मध्य व्यवस्था की संयुक्त स्कीम के विषय में
तथा

विषय में :

टालेस प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, ब्लॉक 4, वाटिका वन ऑन वन, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुरूग्राम, हरियाणा–122007 में स्थित है।

..........अंतरणकर्ता कम्पनी 1/आवेदक कम्पनी 1

तथा

टाटा एसआईए एयरलाइन्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय इन्टेलियन ऐज, टावर ए, 9वां एवं 10वां तल, साउथ पेरीफेरल रोड, सेक्टर–72, गुरूग्राम, हरियाणा–122101 में स्थित है।

..........अंतरणकर्ता कम्पनी 2/आवेदक कम्पनी 2

तथा

एयर इंडिया लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ब्लॉक 4, वाटिका वन ऑन वन, सेक्टर–16, एनएच–48, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुरूग्राम, हरियाणा–122007 में स्थित है।

..........अंतरिती कम्पनी /आवेदक कम्पनी 3

टाटा एसआईए एयरलाइन्स लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों तथा
एयर इंडिया लिमिटेड के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकों
की सूचना का विज्ञापन

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ **("न्यायाधिकरण")** की चंडीगढ़ पीठ ने सीए (सीएए) 28/सीएचडी/एचआरवाई/2023 में एक आदेश दिनांकित 21 जुलाई, 2023 **("आदेश")** द्वारा, अन्य के साथ निर्देश दिया है कि, टाटा एसआईए एयरलाइन्स लिमिटेड **("विस्तारा")** के प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों तथा एयर इंडिया लिमिटेड **("एयर इंडिया")**, जो विस्तारा के साथ सामूहिक रूप से "कम्पनीज" कही गई है, के अप्रतिभूत लेनदारों की पृथक बैठकें **("सामूहिक रूप से "बैठकें")** कम्पनी अधिनियम, 2013 **("अधिनियम")** की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत टालेस प्राइवेट लिमिटेड तथा विस्तारा और एयर इंडिया एवं उनके संबंधित शेयरधारकों के मध्य व्यवस्था की संयुक्त स्कीम **("स्कीम")** पर विचार करने, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो अनुमोदित करने के प्रयोजन हेतु आयोजित की जाएं।

उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें निदेशित किया गया है, एतदद्वारा आगे सूचना दी जाती है कि :

(i) विस्तारा के प्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 को पूर्वा. 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, उस दिन, तिथि और समय पर विस्तारा के उक्त प्रतिभूत लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

(ii) विस्तारा के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 को मध्या. 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, उस दिन, तिथि और समय पर विस्तारा के उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

(iii) एयर इंडिया के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 को अप. 2.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **("वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग")** के माध्यम से आयोजित की जाएगी, उस दिन, तिथि और समय पर एयर इंडिया के उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

चूंकि बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं और इसलिए किसी बैठक में किसी एक उभय स्थान पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, अतः परोक्षियों की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, बैठकों के लिए लेनदारों द्वारा परोक्षियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड **("एनएसडीएल")** संबंधित बैठकों (वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी) से पहले के साथ साथ संबंधित बैठकों के दौरान भी रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। संबंधित बैठकों से पहले रिमोट ई–वोटिंग बृहस्पतिवार, 24 अगस्त, 2023 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी तथा शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी) (दोनों दिवस सम्मिलित हैं) समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त, एनएसडीएल द्वारा संबंधित बैठकों के दौरान प्रतिभागिता हेतु सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

संबंधित बैठकों के संबंध में सूचनाओं की प्रतियां, उनके साथ संलग्न दस्तावेजों सहित, जिनमें अधिनियम की धारा 230(3) तथा 102 के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6(3) के तहत व्याख्यात्मक विवरण तथा स्कीम सम्मिलित हैं **(सामूहिक रूप से "सूचनाएं")** निःशुल्क किसी भी दिन (सिवाय शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश) कम्पनी (यथा लागू) के पंजीकृत कार्यालय से कार्यसमय के दौरान प्राप्त की जा सकती हैं। कम्पनीज सूचनाओं/स्कीम की प्रति, लेनदार द्वारा, विस्तारा से ई–मेल द्वारा **nclt.meeting@airvistara.com** पर तथा एयर इंडिया से **nclt.meeting@airindia.com** पर मांगे जाने पर एक दिन के भीतर मुहैया कराई जाएगी। ये सूचनाएं कम्पनीज की वेबसाइट्स **www.airvistara.com** तथा **www.airindia.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध होंगी।

माननीय न्यायाधिकरण ने बैठकों, उनके प्रास्थगन सहित, के लिए माननीय न्यायाधीश एम.एम. सिंह बेदी (सेवानिवृत्त) को अध्यक्ष तथा श्री धनंजय सिंह, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस न्यायाधिकरण ने श्री अजय के अरोड़ा, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरी को बैठकों, उनके प्रास्थगन सहित, के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है। यह स्कीम, यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, तो वह माननीय न्यायाधिकरण के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

लेनदारों से संबंधित सूचनाओं के नोट्स में बैठकों से पहले तथा बैठकों के दौरान रिमोट ई–वोटिंग हेतु अनुदेश पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।

महत्वपूर्ण नोट्स :

(1) कम्पनीज इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचनाएं उन लेनदारों को भेज चुकी हैं, जिनकी ई–मेल आईडी'ज कम्पनी में पंजीबद्ध हैं। सूचनाओं की भौतिक प्रतियां अनुमत विधि से उन लेनदारों को भेजी जा चुकी हैं, जिनकी ई–मेल आईडी'ज कम्पनी में पंजीबद्ध नहीं हैं। ये सूचनाएं कम्पनीज की वेबसाइट्स **www.airvistara.com** तथा **www.airindia.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध होंगी।

(2) कोई व्यक्ति/संस्था, जो कट–ऑफ तिथि (जोकि 31 मार्च, 2023 है) को कम्पनीज का लेनदार नहीं है, उसको ये सूचनाएं जानकारी मात्र के निमित्त माननी चाहिए और ऐसा व्यक्ति/संस्था वोट डालने की हकदार नहीं होगी।

(3) लेनदार इस सूचना के नोट्स में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण कर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठकों से, बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और निर्धारित समय के बाद 15 मिनट के भीतर, जुड़ सकते हैं।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि रिमोट ई–वोटिंग (बैठकों से पहले) द्वारा वोट डालने से किसी लेनदार का बैठक में भाग लेने का हक समाप्त नहीं होता है। तथापि, कोई लेनदार, जो बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट डाल चुका है, वह बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाल सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठकों में उपस्थित कम्पनीज के लेनदार, जिनके द्वारा बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, बैठक के दौरान उपलब्ध कराई गई ई–वोटिंग का उपयोग करते हुए अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने के हकदार होंगे।

(5) लेनदारों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि 31 मार्च, 2023 **("कट–ऑफ तिथि")** को उनकी बकाया राशि के अनुपात में होंगे।

(6) परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित कम्पनीज की वेबसाइट्स **www.airvistara.com** तथा **www.airindia.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर प्रकाशित किए जाएंगे।

(7) यदि किसी लेनदार को कोई समस्या/कठिनाई होती है अथवा वे अपना पासवर्ड भूल गए हैं, कृपया निस्संकोच टोलफ्री नंबर 022–48867000/022–24997000 पर सम्पर्क करें अथवा ई–मेल आईडी **evoting@nsdl.co.in** पर सम्पर्क करें।

	वास्ते टाटा एसआईए एयरलाइन्स लिमिटेड	**वास्ते एयर इंडिया लिमिटेड**
	हस्ता./–	**हस्ता./–**
तिथि : 21 अगस्त, 2023	**नियान्त मारू**	**विनोद हेजमाडी**
स्थान : गुरूग्राम	**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**	**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

airindia 10x25 kks 19-08-2023